Pt. Lec.- Keshav Kumar Shrivastava
(1) College - R.M.M. Law College, Saharsa.
L.L.B. Part III : Labour Law : VI-th.

Q.- What is the procedure for appointment of an Inspector for the purpose of Factories Act, 1948. Explain the Powers and functions of an Inspector.

निरिक्षक की नियुक्ति कैसे होती है? कारखाना अधिनियम 1948 में निरिक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं? स्पष्ट करें।

Ans - कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-8 (1) में निरिक्षक (Inspector) की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं।

निरिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा राज्य-सरकार गजट में विज्ञप्ति (Notification) प्रकाशित करके करती है। केवल विहित योग्यता वाले व्यक्ति ही निरिक्षक-पद के लिए अर्ह (qualified) माने जायेंगे। शैक्षणिक योग्यता या अर्हता का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन नियुक्ति के समय निश्चित रूप से एक मानदण्ड रखा जायगा। प्रत्येक जनपद का जिलाधीश अपने जिले के लिए निरीक्षक के रूप में कार्य करेगा। नियुक्ति के समय भी पात्रता का उल्लेख किया जा सकता है। नियुक्ति के समय भी पात्रता का उल्लेख किया जा सकता है। इससे संकेत मिलता है कि ऐसे व्यक्ति ही प्राथमिकता पायेंगे जिन्हें औद्योगिक विधि का ज्ञान तथा अनुभव हो, और जो उनके रीति-रिवाजों से परिचित हों। क्षेत्राधिकार-सम्बन्धी विवाद न होने देने के लिए नियुक्ति के समय ही उनकी क्षेत्रीय सीमा बाँट दी जायेगी, जिसके अन्दर ही वे कार्य करेंगे। राज्य-सरकार उपयुक्त रीति से ही किसी व्यक्ति को मुख्य निरिक्षक के पद पर नियुक्त कर सकती है, जो न केवल निरिक्षक के अपितु मुख्य निरिक्षक पद से सम्बद्ध सभी कार्यों को करेगा; जो उसे सौंपे जायें।

अधिनियम की धारा 8 (1-क) के अनुसार राज्य सरकार गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मुख्य निरिक्षक, संयुक्त मुख्य निरिक्षक तथा उप-मुख्य निरिक्षक और अन्य पदाधिकारियों को मुख्य निरिक्षक की सहायता के लिए नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार नियुक्त समस्त निरिक्षकों द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग सम्पूर्ण राज्य में किया जा सकेगा। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अर्थ में प्रत्येक निरिक्षक एवं मुख्य, अतिरिक्त तथा उप निरिक्षक लोक सेवक माना जायेगा।

निरिक्षकों की शक्तियाँ (Powers of Inspectors) — Factories Act, 1948 की धारा - 9 में निरिक्षक को निम्नलिखित शक्तियाँ (अधिकार)

प्राप्त होते हैं —(1) सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारियों की सेवा में लगे हुए सहायकों की सहायता से, जिन्हें कि वह उचित समझता है किसी ऐसे स्थान पर प्रवेश कर सकता है जिसका प्रयोग कारखाने के रूप में किया जाता है, या जिसके संबंध में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस प्रकार कारखाने के उपयोग में लाया जाता हैं।

(2) वह कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखाना के परिसर में प्लान्ट (Plant) और मशीनरी का निरीक्षण कर सकता है और किसी विहित रजिस्टर या कारखाने से सम्बन्धित किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा कर सकता है। वह उसी स्थल पर अन्यथा रूप से किसी व्यक्ति के बयान ले सकता है जिसका कि बयान लिया जाना वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के पालन हेतु उचित समझा जाता है।

(3) वह और भी ऐसी शक्तियों का उपयोग कर सकता है जो इस section की पूर्ति के लिए निर्धारित की गयी हो।

लेकिन कारखाना निरिक्षक किसी व्यक्ति को ऐसे बयान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिससे कि उस व्यक्ति पर स्वयं दोषारोपण होता हो।

Duties of Inspectors (निरीक्षकों के कर्तव्य) — अधिनियम की धारा-9 के अनुसार निरीक्षकों को निम्न कार्य करना होता है —

(1) इस अधियम के अन्तर्गत दिये गये कर्तव्यों का पालन करना,

(2) निर्धारित सीमा में अधिनियम द्वारा सौंपे गये दायित्व का निर्वाह करना निरिक्षक का कर्तव्य है,

(3) श्रमिकों को इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं तथा सुरक्षा आदि की व्यवस्थाओं की पर्याप्त की जाँच करना,

(4) नियोजक या कारखाने के स्वामी को ऐसे निर्देश जारी करना जो इस अधिनियम के उपबन्ध के पालन के लिए जरूरी हो।

Functions of Inspectors (निरिक्षकों के कार्य) — इस कारखाना अधिनियम के अन्दर निरिक्षक को उस पर आरोपित सभी दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए :—

(1) उसे लोक सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए।

(2) उसे घटना स्थल पर आकर सम्बन्धित व्यक्तियों का बयान लेना चाहिए।

(3) भवन परिसर, कारखाने, वस्तुओं एवं समानों का निरिक्षण करना चाहिए।

(4) इस अधिनियम द्वारा दिये गये श्रमिकों के लिए सुविधाओं

Scanned with CamScanner

Pt. Lec.- Keshav Kumar Shrivastava
College - R.M.M. Law College, Saharsa.

तथा सुरक्षा की जाँच करनी चाहिए।

(5) नियोजक को इस प्रकार का निर्देश जारी करना चाहिए जो अधिनियम का पालन करता हो।

(6) इस अधिनियम के उद्देश्यों की पुर्ति और प्रायोजकों को क्रियान्वित करने के लिए अन्य आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

—:—

Write short notes on the worker.

श्रमिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुसार श्रमिक का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो सीधे अथवा किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से वेतन पर अथवा अन्यत्र नौकर रखा गया है। इस परिभाषा के अनुसार, यह आवश्यक नहीं है कि श्रमिक कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सिर्फ वेतन पाता हो। श्रमिक बिना वेतन अर्थात अवैतनिक भी हो सकता है। इसका अभिप्राय यह होता है कि किसी भी फैक्ट्री में कार्य करने वाला श्रमिक, चाहे वह मजदूरी पाता हो अथवा अवैतनिक रूप से कार्य करता है, श्रमिक के कोटि में रखा जायगा।

—:—

Write short notes on 'Canteen'. 'कैन्टीन' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-46 के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था की गई है कि जिस कारखाने में दो सौ पचास से अधिक श्रमिक नियोजित हैं वहाँ राज्य सरकार नियम बनाकर यह आदेश दे सकती है कि श्रमिकों के उपयोग के लिए कारखाने का अधिष्ठाता कैन्टीन का प्रबन्ध करें तथा उन्हें कायम रखें।

कैन्टीन चलाने के लिए स्थान या मकान दे देना ही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि नियोजक को यह देखने का दायित्व भी है कि कैन्टीन चल रही है और उसका प्रयोजन पुरा हो रहा है या नहीं अर्थात सस्ते दर पर नाश्ता आदि उपलब्ध हो रहा है या नहीं।

—:—

Scanned with CamScanner